

(वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 23.07.2021

निर्णय घोषित: 26.08.2021

+ जमानत अर्जी 1817/2021 एवं फौ.वि.अ. 8241/2021

सुजीत कुमार

.... याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री आर.के.ठाकुर, श्री नैन तलवार,
श्री बालेन्दु मिश्रा एवं श्री ऋषभ
कुमार ठाकुर, अधिवक्तागण ।

बनाम

दिल्ली प्रशासन द्वारा
राज्य

.....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री मंजीत आर्या, राज्य की अति.
लो. अभि. के साथ मोहिंदर सिंह,
निरीक्षक, पुलिस थाना शास्त्री पार्क
मेट्रो ।

श्री अनंत कुमार वत्स्य एवं श्री
नन्द किशोर शर्मा, सूचक के
अधिवक्तागण।

कोरम:

माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश भटनागर

आदेश

न्या.रजनीश भटनागर

1. वर्तमान जमानत अर्जी याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 439 के तहत पुलिस थाना शास्त्री पार्क मेट्रो में भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी/498 ए/34 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 10/2020 में नियमित जमानत के लिए दायर की गई है।

2. संक्षेप में कहा गया है, मामले के तथ्य यह हैं कि दिनांक 14.08.2020 को पुलिस स्टेशन शास्त्री पार्क मेट्रो, दिल्ली में शाम के 03.17 बजे डी डी सं. 23 ए के द्वारा एक महिला के बारे में सूचना प्राप्त हुई जो फ्लैट नंबर 316 3 मंजिल, ट्रांजिट हॉस्टल डीएमआरसी, शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन, दिल्ली के पास से अंदर जवाब नहीं दे रही थी। उपरोक्त डीडी प्रविष्टि को IO/ASI विनोद कुमार को चिह्नित किया गया था जो W/Ct के साथ मौके पर पहुंचे थे। अंजलि।इस बीच, उपरोक्त सूचना मिलने के बाद आरक्षी सुले चंद भी मौके पर पहुंच गए थे। फ्लैट का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद पाया गया और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिल रही थी। इस पर, आईओ ने पुलिस कर्मचारियों, सुजीत कुमार (वर्तमान याचिकाकर्ता), हरीश चंदर, डीएमआरसी सुरक्षा गार्ड और ट्रांजिट हॉस्टल के निवासी सोनू कुमार की मदद से दरवाजा पर धक्का लगाया और उपरोक्त फ्लैट में प्रवेश किया था। यह पाया गया कि याचिकाकर्ता की

पत्नी ज्योति कुमारी बेड रूम में छत के पंखे से बंधी हुई नीले प्लास्टिक की रस्सी की मदद से लटकी हुई थी और उसके पैर दो प्लास्टिक की कुर्सियों पर थे।

3. याचिकाकर्ता से पूछताछ करने पर, यह ध्यान में आया कि याचिकाकर्ता का विवाह ज्योति कुमारी के साथ दिनांक 14.06.2019 को हुआ था। इसलिए, एसडीएम/सीलमपुर को घटना के बारे में मोबाइल पर सूचित किया गया था। इस पर, एसडीएम/सीलमपुर ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 176 के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए दलबीर सिंह, कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीलमपुर) दिल्ली की प्रतिनियुक्ति की थी जो मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया था। मौके की तस्वीरें मोबाइल क्राइम टीम/एनई डिस्ट्रिक्ट के फोटोग्राफर ने ली थीं। तत्पश्चात, ज्योति कुमारी का शव आगे की जांच के लिए को जीटीबी अस्पताल, दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। ज्योति कुमारी के एमएलसी को अस्पताल में तैयार किया गया और शव को जीटीबी अस्पताल, दिल्ली के शवगृह में संरक्षित किया गया।

4. घटना और एसडीएम जांच के संबंध में मृतक के माता-पिता को टेलीफोन पर सूचित किया गया था। कार्यवाही के दौरान, कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीलमपुर), दिल्ली ने दिनांक 16.08.2020 को मृतक के पिता/माता श्री संजय कुमार और श्रीमती गौरी रानी के बयान दर्ज किए थे। तत्पश्चात, ज्योति कुमारी के शव का पोस्टमॉर्टम उसी दिन कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीलमपुर), दिल्ली द्वारा, जीटीबी अस्पताल, दिल्ली के शवगृह में किया गया और पोस्टमॉर्टम के बाद, ज्योति कुमारी के शव को अंतिम संस्कार के लिए माता-पिता और अन्य रिश्तेदार को सौंप दिया गया।

5. दिनांक 17. 08. 2020 को श्री दलबीर सिंह, कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीलमपुर), दिल्ली ने अपनी रिपोर्ट सं. एफ. सं./TEH/S. PUR/2020/461 दिनांक 17/08/2020 के साथ मृतक ज्योति कुमारी के पिता/माता श्री संजय कुमार और श्रीमती गौरी रानी के बयानों को आईओ/एएसआई विनोद कुमार को आगे कानूनी कार्रवाई करने के लिए सौंपा | मृतक ज्योति कुमारी के पिता संजय कुमार के बयान के आधार पर जो कार्यकारी मजिस्ट्रेट (सीलमपुर) दिल्ली द्वारा अभिलिखित किया गया था, वर्तमान मामले में प्राथमिकी सं. 10/20 दिनांक 17/08/2020 भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए/304 बी/34 दर्ज किया गया था।

6. मैंने याचिकाकर्ता के अधिवक्ता, राज्य के फ़ाज़िल अति.लो.अभि. को सुना है और इस मामले के अभिलेखों का भी अवलोकन किया है।

7. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि मृतक के भाई द्वारा प्राप्त अंतिम संदेश के अनुसार, उसने आत्महत्या कर ली थी क्योंकि उसे अपने पति पर विभिन्न महिलाओं के साथ संबंध होने का संदेह था और जब भी, उसने इस बारे में उसका सामना किया तो उसे बुरी तरह पीटा गया। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पूरे सुसाइड नोट में याचिकाकर्ता या उसके परिवार के किसी सदस्य द्वारा दहेज की मांग की कानाफूसी भी नहीं है। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए पूरे आरोप भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत नहीं आते

हैं। उसके द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता घटना के समय झूठी पर था और उसे झूठा फंसाया गया है।

8. दूसरी ओर, राज्य के फ़ाज़िल के फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि इस स्तर पर, सुसाइड नोट और मृतक के पिता के बयान को अलग अलग नहीं पढ़ा जा सकता है। दहेज की मांग के आरोप हैं। मृत्यु दिनांक 14.08.2020 को यानी शादी के 7 साल के भीतर हुई है । मृत्यु अप्राकृतिक है और मृत्यु से पहले मृतक को क्रूरता के अधीन किया गया था, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि वर्तमान मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 304 बी के अंतर्गत नहीं है। आगे फ़ाज़िल अति. लो. अभि. द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि भौतिक गवाहों की जांच की जानी बाकी है और याचिकाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों के आचरण के कारण एक युवा लड़की ने अपनी जान गंवा दी है।

9. वर्तमान मामले में प्राथमिकी मृतक के पिता द्वारा दिए गए बयान के आधार पर दर्ज की गई थी जिसने स्पष्ट रूप से कहा है कि शादी के समय गहने, फर्नीचर आदि पर 15 लाख रुपये खर्च किए गए थे और 4 लाख रुपये बारातियों के स्वागत पर खर्च किए गए थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, मृतक के पिता ने कहा कि शादी के छह महीने बाद चीजें सामान्य थीं, लेकिन उनके अनुसार याचिकाकर्ता के भाई ने दिल्ली में एक घर बनाया है, इसलिए याचिकाकर्ता भी दिल्ली में एक घर बनाना चाहता था, इसलिए उसने मृतक से 10 लाख रुपये की मांग करना शुरू कर दिया। मृतक ज्योति कुमारी के पिता के बयान के अनुसार, उसे तब भी जान से मारने की

धमकी दी गई थी जब 10 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं हुई थी और उसने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता अपने कार्यस्थल पर अपने भाभी सिम्पी और एक अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध बना रहा था।

10. मृतक के भाई ने एक वॉयस मैसेज भी पेश किया जो पीड़ित ने अपनी मृत्यु से पहले रिकॉर्ड किया था जो उसकी मानसिक स्थिति को भी बताता है और यह भी बताता है कि वह कितना परेशान थी। इस मामले में भौतिक गवाहों की जांच होनी बाकी है। इसलिए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, इस स्तर पर, याचिकाकर्ता की जमानत के लिए कोई आधार नहीं बनाया गया है। है इसलिए, जमानत अर्जी खारिज किया जाता है एवं फौ.वि.अ. 8241/2021 को भी तदनुसार निपटाया जाता है।

11. उपरोक्त में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है जो कि मामले के गुण पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के तुल्य होगा।

न्या. रजनीश भटनागर

अगस्त 26,2021

सुमंत

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

अस्वीकरण :देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा।समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।